रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 1999/अग्रहायण 25, 1921

No. 605] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 1999/AGRAHAYANA 25, 1921

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1999

सा.का.नि. 814(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे विनिर्दिष्ट औषधियों का उपयोग, दावा की गई चिकित्सीय मूल्य या उनके दावे के अभिप्राय से या कतिपय, संघटक और ऐसे परिमाण में जिसका कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और उक्त औषधियों के विनिर्माण, विक्रय और वितरण का लोकहित में प्रतिषेध करना आवश्यक और समीचीन है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव के उपयोग के लिए उक्त औषधियों का तारीख 1 सितम्बर, 2000 से विनिर्माण, विक्रय और वितरण करने के लिए प्रतिषेध करती है।

(1) हीमोग्लोबिन के किसी रूप (प्राकृतिक या संश्लेषित) की नियत मात्रा में संयोजन।

(2) पैनक्रियटिन या पैनक्रिलिपेज जिसके संघटकों में एमेलेज, प्रोटीज और लाईपेज सहित किसी अन्य एन्जाइम के सहित नियत मात्रा में संयोजन।

[फा.सं. एक्स-11014/5/99-डीएमएस और पीएफए]

दीपक गुप्ता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र सा.का.नि. 578(अ) तारीख 23-7-1983 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन सा. का. नि. 704(अ) दिनांक 20-10-1999 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 1999

G.S.R. 814(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drugs specified below do not have the therapeutic value claimed or purported to be claimed for them or contain ingredients and in such quantity for which there is no therapeutic justification and that in the public interest it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale or distribution of the said drugs;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26-A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture, sale or distribution of the said drugs for human use with effect from 1st September, 2000;

(1) Fixed dose combination of haemoglobin in any form (natural or synthetic).

(2) Fixed dose combination of Pancreatin or Pancrelipase containing amylase, protease and lipase with any other enzyme

[F. No. X-11014/5/99-DMS & PFA]

DEEPAK GUPTA, Jt Secy.

Foot Note :— Principal Notification was published *vide* G.S.R. 578(E) dated 23-7-1983 and last amended *vide* G.S.R. No. 704(E) dated 20-10-1999.

3657 GI/99

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.